

(10)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

महत्वपूर्ण

पत्रांक-प्र07-एल0पी0जी0-02/2010

6395

खाद्य, पटना/दिनांक- 25/7/2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:-

एल0पी0जी0 वितरकों के प्रतिष्ठानों/गोदामों का औचक निरीक्षण करने एवं तत्संबंधी मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि घरेलू एल0पी0जी0 वितरण में बरती जा रही अनियमितताओं, कालाबाजारी एवं उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति में अनावश्यक विलंब के संबंध में सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है ।

उपभोक्ताओं को ससमय निर्धारित दर पर एल0पी0जी0 की आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है । उपभोक्ताओं को समय पर घरेलू एल0पी0जी0 रिफिल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर एल0पी0जी0 वितरण कार्यों का सतत् अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाय ।

अतएव जिला में कार्यरत एल0पी0जी0 वितरकों एवं एल0पी0जी0 वितरण से जुड़े कंपनियों के स्थानीय/क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ नियमित बैठक की जाय । घरेलू एल0पी0जी0 के कालाबाजारी एवं वितरण में बरती जानेवाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु एल0पी0जी0 वितरकों के प्रतिष्ठानों/गोदामों का औचक निरीक्षण कराया जाय एवं इसके दौरान पायी जानेवाली अनियमितताओं के आलोक में त्वरित कार्रवाई की जाय तथा तत्संबंधी मासिक प्रतिवेदन विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

25/07/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापक- प्र07-एल0पी0जी0-02/2010

6395

खाद्य, पटना/दिनांक- 25/7/2011

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

25/07/2011

प्रधान सचिव ।

3/11/11

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

महत्वपूर्ण

पत्रांक-प्र07-विविध-37/2010

5477

खाद्य, पटना/दिनांक- 9.6.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल का तौल कम करने एवं
अपमिश्रण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पेट्रोल पम्पों द्वारा उपभोक्ताओं को भुगतान की गई राशि के विरुद्ध कम पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति करने एवं उनमें अपमिश्रण करने की शिकायतें विभाग को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती हैं ।

विदित हो कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 266 दिनांक 14.01.2008 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी सहित राज्य के कुल 22 श्रेणी के पदाधिकारियों को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटर स्परिट (पेट्रोल) एवं उच्च वेग डीजल (डीजल) के किसी स्थान/परिसर में प्रवेश कर जाँच एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

उपभोक्ताओं को सही तौल एवं अपमिश्रणरहित पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार का दायित्व बनता है ।

अतएव जिलों में कार्यरत पेट्रोल पम्पों द्वारा सही माप तौल में एवं अपमिश्रितरहित पेट्रोल एवं डीजल की विक्री सुनिश्चित कराने हेतु जिलों में पदस्थापित माप-तौल पदाधिकारी तथा पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की संयुक्त जाँच दल का गठन किया जाय और पेट्रोल पम्पों की नियमित जाँच करायी जाय । जाँच के क्रम में अगर अनियमितता पाई जाती है तो उसके आलोक में कड़ी कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

9/6/2011
प्रधान सचिव ।

345
44

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी०एस०आर० दिनांक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सा०का०नि० 729(अ) दिनांक 19.12.2005 के
मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार
निवारण) आदेश 2005 के कंडिका - 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों के साथ पटित
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (अधिनियम 10, 1955) की धारा - 3 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल द्वारा
उक्त आदेश के कंडिका - 7 के प्रावधानों के तहत राज्य के निम्नलिखित पदाधिकारियों
को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटर स्प्रिट एवं उच्च वेग डीजल के
किसी स्थान/परिसर में प्रवेश जॉच एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

1. प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप
सचिव/अवर सचिव/खाद्यायुक्त के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग, बिहार, पटना ।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त
3. सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक
4. सभी जिला पदाधिकारी
5. सभी आरक्षी अधीक्षक
6. सभी अपर जिला दण्डाधिकारी
7. सभी अपर सर्माहर्ता
8. सभी उप निदेशक, खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति
9. सभी अनुमंडल पदाधिकारी
10. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी
11. अनुज्ञापन प्राधिकारी
12. सभी आरक्षी उपाधिक्षक
13. सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
14. प्रभारी दण्डाधिकारी उड़नदस्ता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार,
पटना
15. सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी
16. विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन, पटना
17. उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना
18. सभी सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना

346

19. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
20. सभी अंचल अधिकारी
21. सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी
22. सभी पणन पदाधिकारी

2. उपर्युक्त आदेश से संबंधित जी०एस०आर०-1 दिनांक 14.01.2000 को तात्कालिक प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

(प्र०६-कि०आ०-०४/०७)
बिहार राज्यपाल के आदेश से
(सुरेश कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०६कि०आ०-०४/०७ 266

/खाद्य,पटना-15,दिनांक- 14.01.08

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय बिहार, गुलजारबार पटना को राजकीय राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इसकी एक सौ प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की करें।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०६कि०आ०-०४/०७ 266

/खाद्य,पटना-15,दिनांक- 14.01.08

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव बिहार पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव /सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक / को सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०६कि०आ०-०४/०७ 266

/खाद्य,पटना-15,दिनांक- 14.01.08

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों को इसकी प्रतिलिपि अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०६कि०आ०-०४/०७ 266

/खाद्य,पटना-15,दिनांक- 14.01.08

प्रतिलिपि: विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना एवं सभी पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

517

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध-37/2010

2975

खाद्य, पटना/दिनांक- 3/5/2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक ।

विषय:- पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित पाइप लाइनों एवं प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के सुगमतापूर्वक संचरण हेतु पाइप लाइनों का प्रयोग किया जाता है । इन पाइप लाइनों एवं इनसे संबंधित प्रतिष्ठानों से पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस की चोरी की सूचना यदा-कदा प्राप्त होती रहती है । ऐसा करने से जहाँ सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है वहीं जान माल की भी क्षति होने की संभावना बनी रहती है । पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित पाइप लाइनों एवं प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व बनता है ।

अतएव अनुरोध है कि पाइप लाइनों एवं प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाय और इनसे पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस की चोरी करने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध IPC, EC Act, 'Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980' एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

[Signature]

प्रधान सचिव ।

ज्ञापक- प्र07-विविध-37/2010

2975

खाद्य, पटना/दिनांक- 3/5/2011

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड, प्रथम तल्ला, विश्व व्यापार केन्द्र बाबर रोड, नई दिल्ली - 110001 को उनके संदर्भ संख्या PNG RB/CH/11 दिनांक- 7 अप्रैल, 2011 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

[Signature]

प्रधान सचिव ।

348

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र06-गैस-03/2008- 785 खाद्य, पटना/दिनांक- 17.03.09
प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :- अनुदानित घरेलू एल0 पी0 जी0 सिलिंडर/पी0 डी0 एस0 किरोसिन
के दुरुपयोग, कालाबाजारी एवं विचलन को रोकने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
मंत्रालय के अर्द्ध सरकारी पत्रांक पी-17012/6/2008-mkt, दिनांक 24.12.2008
के प्रसंग में कहना है कि सरकार एवं तेल कंपनियों द्वारा घरेलू एल0 पी0 जी0
सिलिंडर एवं पी0 डी0 एस0 किरोसिन पर क्रमशः 142.67 रुपया प्रति सिलिंडर एवं
16.60 रुपया प्रति लीटर का अनुदान भार वहन किया जाता है ।

घरेलू एल0 पी0 जी0 सिलिंडर एवं पी0 डी0 एस0 किरोसिन के
दुरुपयोग, कालाबाजारी एवं विचलन के फलस्वरूप सरकार/तेल कंपनियों को
राजस्व का नुकसान सहना पड़ता है, साथ ही सही उपभोक्ताओं को भी कठिनाई
होती है । अतः इनके कालाबाजारी एवं विचलन पर अंकुश लगाना अत्यावश्यक
है ।

“प्रवित पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन)
आदेश 2000” एवं “किरोसिन (रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एवं फिकशेसन ऑफ सिलिंग
प्राईस) आदेश 1993 में इन वस्तुओं के गैर कानूनी रूप से प्रयोग करने वालों के
विरुद्ध पर्याप्त कार्रवाई करने के प्रावधान है ।

अनुरोध है कि अनुदानित घरेलू एल0 पी0 जी0 सिलिंडरों/पी0 डी0
एस0 किरोसिन के दुरुपयोग, कालाबाजारी एवं विचलन रोकने से सम्बन्धित विभिन्न
आदेशों/पत्रों के संदर्भ में सार्थक कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन,

17/03/09.

(त्रिपुरारि शरण)

सरकार के सचिव ।

(अभिज्ञ)



गिर्जधन सं० पी० टी०-४०

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

८ श्रावण १९२७ (मं०)

(सं० पटना ४१३)

पटना, शनिवार ३१ जुलाई २००५

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचनाएं

३० जुलाई, २००५

सं० जी० एस० आर० १, दिनांक ३० जुलाई, २००५—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की जी० एस० आर० ४८७ (ई), दिनांक २६ अप्रैल, २००० द्वारा प्रकाशित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, २००० के खण्ड-१३ के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (केन्द्रीय अधिनियम १०, १९५५) की धारा-३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य में निम्नलिखित पदाधिकारियों को उक्त आदेश के कार्यान्वयन के आलोक में आवश्यक कार्यवाई करने हेतु अपने कोष्ठ विभाग में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के स्थानांतरित में प्रवेश, जांच, तलाशी एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत करते हैं—

१. सभी प्रमंडलीय आयुक्त
२. आरक्षी उप महानिरीक्षक (खाद्य)
३. सभी जिला पदाधिकारी
४. निशिक्षित पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना
५. सभी अपर समाहर्ता
६. सभी अपर जिला दंडाधिकारी
७. सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक (खाद्य)
८. आरक्षी अधीक्षक (खाद्य)
९. सभी अनुमंडल दंडाधिकारी
१०. सभी आरक्षी उपाधीक्षक (खाद्य)
११. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी
१२. प्रभारी दंडाधिकारी (उद्गमदस्ता) खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना
१३. सभी कार्यपालक दंडाधिकारी
१४. सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी

15. उप-प्रमुख पशुधन अधिकारी, पटना
16. सहायक अधीक्षक पशुधन अधिकारी, पटना
17. सभी प्रमुख विकास परामर्शदाता/अधीनस्थ अधिकारी
18. सभी पशु पशुधन अधिकारी
19. सभी प्रमुख प्राणी अधिकारी
20. आरक्षी निरीक्षक (बाघ)
21. सभी प्राणी निरीक्षक

2. यह अधिसूचना तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी एवं तत्संबंधित पूर्व अधिसूचना/आदेश को रद्द कर दिया जायेगा।

(प्र० 6 गैस-0112000)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से।

(ह०) अस्पष्ट;

सरकार के उप-सचिव।

जी० एस० आर०-1 ए, जी० एस० आर० 1, दिनांक 30 जुलाई, 2005 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अध्यादेश (अनल) बिहार-राज्यपाल के अधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ सनका जायेगा।

(प्र० 6 गैस 0112000)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से।

(ह०) अस्पष्ट;

सरकार के उप-सचिव।

The 30th July 2005

G.S.R. 1, dated the 30th July 2005.—In exercise of powers conferred under clause 13 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) order 2000 published by Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India vide G.S.R. 487(E) dated 26th April, 2000 read with essential commodities Act 1955 (Central Act, 10 of 1955) the Governor of Bihar is pleased to authorise following officers of the Bihar state to exercise the power of entry search and seizure of place/premises of Liquefied Petroleum Gas within their jurisdiction and to take necessary actions for due compliance of the said order:—

1. All Divisional Commissioner
2. Dy. Inspector General of Police (Food)
3. All District Magistrate
4. Special Officer Rationing, Patna
5. All Additional Collector
6. All Additional District Magistrate
7. All Divisional Deputy Director (Food)
8. Superintendent of Police (Food)
9. All Sub-Divisional Magistrate
10. All Deputy Superintendent of Police (Food)
11. All District Supply Officer
12. Magistrate Incharge Flying Squad
Food, Supply and Commerce Deptt. Bihar, Patna
13. All Executive Magistrate
14. All Assistant District Supply Officer
15. Deputy Rationing Officer, Patna
16. Assistant Rationing Officer, Patna
17. All Block Development Officer/Circle Officer